न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 158 / 2018

सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम सिंगोद कलां, बांडिया की ढाणी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर हालवासी म.नं. 115, तुलसीनगर, टोंक रोड, गौशाला के पास, सांगानेर, जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. हरिनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम सिंगोद कलां, बांडिया की ढाणी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. संतोष कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम सिंगोद कलां, बांडिया की ढाणी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
3. चिरंजीलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम सिंगोद कलां, बांडिया की ढाणी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर
4. शारदा देवी पुत्री स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पत्नी श्री सतीश शर्मा, जाति–ब्राम्हण, निवासी–श्री कृष्णा मैरिज गार्डन के पास, करधनी कॉलोनी, गोविन्दपुरा, तहसील व जिला–जयपुर।
5. पार्वती देवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण, जाति–ब्राम्हण, निवासी–ग्राम सिंगोद कलां, बांडिया की ढाणी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर
6. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, चौमू, जिला–जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार, चौमू, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, चौमू नामान्तरकरण सं0 129 दिनांक 10.01.1992)

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही।
3. पेरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट सं0 6 व 7 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2021**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सं0 129 ग्राम सिंगोदकलां, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर को खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र आनन्दीलाल के फौत होने पर उनके वारिसानों में से पुत्रियों को छोडते हुए शेष वारिसान के विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 10.01.1992 को विधि–विरूद्ध रूप से तस्दीक किये जाने पर पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, आमेर से प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तरकरण सं0 129 प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1

लगा0 5 की ओर से वावजूद सूचना कोई उपस्थित नही। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलान्ट के विद्वान् अधिवक्ता की वहस सुनी गई। दौराने वहस विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 4 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट सं0 5 के पति लक्ष्मीनारायण के नाम खातेदारी भूमि खाता सं0 205, 180 ख0नं0 495 लगा0 500 कुल किता 6 कुल रकवा 2.55 हे0 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 146 लगा0 149 कुल किता 4 कुल रकवा 6 वीघा 4 विस्वा ग्राम सिंगोद, तहसील–चौमू में स्थित है। लक्ष्मीनारायण पुत्र आनन्दीलाल की मृत्यु के पश्चात् उनके समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 लगा0 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार स्वतः कानूनी रूप से खातेदार है, परन्तु सहायक भू–प्रवंध अधिकारी, चौमू द्वारा बिना तथ्यों के जांच किये बिना सम्पूर्ण वारिसान के जांच किये गैर–कानूनी रूप से रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 व 5 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 व 5 ने विरासत का नामान्तरकरण खुलने के संबंध में उनको कभी कोई जानकारी नही होने दी तथा वे उन्हे प्रतिवर्ष उनके हक एवं हिस्से की उपज देते रहे। अपीलान्ट आज भी अपने हक एवं हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। दिनांक 30.10.2015 को जब अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि में हुई काश्त फसल को संभालने गई तो रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 ने कहा कि यह जमीन हमनें हमारें नाम से करवा ली है इस पर तुम्हार कोई हक अधिकार नही है। जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है, जिसमें उसका 1/6 हिस्सा निहित है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 30.10.2015 को वादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से की भूमि में काश्त फसल संभालने जाने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने और बैचान करने की धमकी देने पर वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि दिनांक 10.01.1992 से दिनांक 30.10.2015 तक कि समयावधि में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जा कर अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए वादग्रस्त नामान्तरकरण को खारिज कर तहसीलदार, चौमू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जावें कि अपीलान्ट के मृतक पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र आनन्दीलाल के सभी वारिसान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

वकील अपीलान्ट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करवाया गया :–

1. RRT 2015 (2) Page 806
2. RRT 2009 (1) Page 467

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त नामान्तरकरण खातेदार लक्ष्मीनारायण के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। वादग्रस्त नामान्तरकरण राजस्व कैम्प सिंगोद कलां में दिनांक 10.01.1992 को पेश हुआ था। जिसमें जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत वारिस जांच के आधार पर मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण के वारिसान के पक्ष में दिनांक 10.01.1992 को राजस्व कैम्प में विधि–अनुरूप तस्दीक किया गया था। जहां तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 का प्रश्न है वर्ष 1992 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियों को पिता की पैतृक सम्पति में हिस्से देने का कोई प्रावधान प्रभावी नही था। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि–विरूद्ध होने के कारण खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र आनन्दीलाल की पैतृक सम्पति के संबंध में वादग्रस्त नामान्तरकरण तत्कालीन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, चौमू द्वारा राजस्व कैम्प दिनांक 10.01.1992 को मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा बाद वारिस जांच तस्दीक किया गया है। जबकि अपीलान्ट लक्ष्मीनारायण पुत्र आन्नदीलाल की मृत्यु के पश्चात् वह प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा वह उनके पिता लक्ष्मीनारायण की वारिस होने के कारण तत्कालीन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा उनका वादग्रस्त भूमि में हिस्सा होते हुए भी नियमानुसार उनके हिस्से का नामान्तरकरण नही स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तत्कालीन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, चौमू द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये गये वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 129 ग्राम सिंगोदकलां दिनांक 10.01.1992 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार, चौमू को प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

29-10-21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर